

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रपक

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/दरभंगा/पटना ।

सहायक श्रमायुक्त, सहरसा/बेतिया ।

श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर-01/मोतिहारी-01/मधुबनी-01/कैमूर/

बक्सर/शेखपुरा/सीतामढी-01 ।

श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक-14-8-18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (विपत्र कोड- 26-2230011010007) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 4910 एवं 4916 both dated- 14-08-18 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 4910 एवं 4916 both dated- 14-08-18 जो, उपशीर्ष-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (विपत्र कोड-26-2230011010007) से संबंधित है, में निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

1. योग वेतन एवं जीवनयापन भत्ता में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. Pay and Pension मद में आवंटित राशि सहायक श्रमायुक्त, बेतिया के पत्रांक-883 दिनांक-22.06.18 एवं श्रम अधीक्षक, शेखपुरा को आवंटित की गयी राशि उनके पत्रांक-364 दिनांक-02.08.18 के आलोक में है।
5. संविदा सेवा मद में आवंटित की गयी राशि विभागीय आदेश संख्या-5759 दिनांक-23.07.18 के आलोक में है। उप श्रमायुक्त दरभंगा को किराया मद में आवंटित की गयी राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5740 दिनांक-23.07.18 के आलोक में है।

6. आवंटित राशि से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के वेतन विपत्रों एवं अन्य सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
8. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित है।

*(R)*  
*24/08/18*  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/बी3-101/2018 श्र०सं०- 6098

पटना, दिनांक- 14.8.18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(R)*  
*14/08/18*

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।